भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्नं संख्या 1378
गुरूवार, 30 जुलाई, 2026/ 8 श्रावण, 1948 (शक)

मजदूरी में वृद्धि

1378 श्रीमती रंजीत रंजन:
श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की औसत वास्तविक मजदूरी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों, दिहाड़ी मजदूर तथा स्व-रोजगार प्राप्त श्रमिकों की श्रेणियां भी सम्मिलित हैं;

(ख) क्या सरकार ने स्थिर वास्तविक मजदूरी का देश में घरेलू खपत तथा जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों के कामगारों के लिए मजदूरी में बढ़ोतरी, रोजगार की गुणवत्ता तथा आय की सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा 20 राज्यों के 600 नमूना गांवों के एक निश्चित सेट से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जून**,** 2025 तक संकलित सूचना के आधार पर चयनित कृषि एवं गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत नाममात्र दैनिक मजदूरी दरों का संकलन एवं रखरखाव किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें अधिसूचित की जाती हैं तथा औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) में वृद्धि के आधार पर उनका समय-समय पर संशोधन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2026 की स्थिति के अनुसार अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों का ब्यौरा नीचे दिए गए लिंक **https://clc.gov.in/clc/sites/default/files/mygov_17751372721.pdf** पर उपलब्ध है:

जारी/2–

इसके अतिरिक्त, मजदूरी संहिता, 2019, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हुई, में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों का समावेश किया गया है। मजदूरी संहिता, 2019 के उपबंधों के अधीन, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें, संहिता में यथा विहित विभिन्न प्राधिकारियों, जैसे–"दावों की सुनवाई एवं निर्णय के लिए प्राधिकारी", "अपीलीय प्राधिकारी", "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" तथा "जांच अधिकारी" की नियुक्ति के माध्यम से संहिता के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए प्राधिकृत हैं।

*****